

तारीख
हुक्म

01
23-24

गनीमा

पञ्जाबी पेश है वही पक्षकार उपर है
 वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जेरकाट
 को पक्षकारों में राजीनामा देने से एक जेरकाट
 वाद को अग्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं इस
 आकर वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र वाद
 विटो किने जाने हे उपलुप्त किया गया। जेरकाट
 वाद जगव व शेक पक्षकारों की गलती को
 स्ट्रेज पर है प्रार्थना पत्र वाद विटो का
 अवलोकन किया गया। प्रार्थना/वादी अधिवक्ता
 का वाद पर, विटो प्रार्थना के आधार पर स्वीकार
 किया जाता है।

अतः जेरकाट वाद पर, विटो के प्रार्थना पत्र
 के आधार पर वाद विटो किने जाने में उभय पक्ष
 के अधिवक्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है जेरकाट
 वाद पर (विटो प्रार्थना पत्र) फैसला किया जाता है
 पञ्जाबी फैसला हुआ होकर नम्बर से कर किया
 जाकर कारिबल दफ्तर है।

निर्णय अतः दिनांक 23-1-24 के सारे इजलास
 सुनाया गया।

